सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअलो का संग्रह

कार्यालयः– परियोजना निदेशक , राजकीय पशु प्रजनन फार्म कालसी, जनपद–देहरादून

वर्ष 2018–19

प्रस्तावना

ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वर्ष 1892 मे सिविल वैटनरी विभाग की स्थापना की गयी जिसका उददेश्य प्रदेश मे अश्व उत्पादन को प्राथमिकता देना था इनके अन्तर्गत बाबूगढ़ (मेरठ) मे एक डिपो खोला गया, जहॉ सामान्य प्रबन्धक के साथ–साथ प्राथमिक चिकित्सा तथा अश्व प्रदर्शनी मेलों का आयोजन कराया जाता था । इसको प्रभावी बनने हेतु सन् 1901 में 07 पशुचिकित्सालय की स्थापना की गयी ।

वर्ष 1899 में स्नेन्डर एण्ड फारसी तथा 1910 मे पशुफार्म मझरा (लखीमपुर) एवं वर्ष 1913 मे माधुरीकुन्ड (मथुरा) में स्थापित किये गये तथा पंजाब पशुचिकित्सा महाविद्यालय लाहौर में पशु सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी ।

वर्ष 1916 में पशुपालन कार्य को गति देने के लिए डिप्टी सुपरटेन्डेन्टों के अधीन रखकर तीन सर्किलों को बाटा गया तथा अधीनस्थ कर्मचारी जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये डिस्ट्रिंक बोर्ड एक्ट 1922 के लागू होने पर कार्यो में आयी समस्याओं के फलस्वरूप इसी वर्ष कैटिल बीडिंग कार्य हेतु मझरा फार्म (खेरी) माधुरीकुन्ड फार्म (मथुरा) कृषि विभाग को सौप दिये गये तथा बैनीपुर (आगरा) व आटा (जालौन) में क्वारनटाइन स्टेशन खोले गये । वर्ष 1933 में सब सर्किलों को समाप्त करते हुए वर्ष 1935 में वैटनरी इनवेस्टीगेशन ऑफिसर नियुक्त किये गये पशु प्रजनन का कार्य कृषि विभाग द्वारा सन्तोषजनक न होने के कारण वर्ष 1939 मे यह कार्य सिविल वेटनरी डिपार्टमेन्ट को सौंप दिया गया इस प्रकार 1944 तक धीरे धीरे पशु सम्बन्धी सभी कार्य सिविल वैटनरी डिपार्टमेन्ट को स्थानान्तरित कर दिये गये ।

1 अप्रैल 1944 में निदेशक पशुपालन विभाग की स्थापना की गयी जिसके द्वारा वर्ष 1946 तक सिविल वैटनरी डिपार्टमेन्ट के सभी कार्य निदेशक पशुपालन के नियंत्रण मे ग्रहण कर लिये गये ।

पशुपालन निदेशालय स्थापित होने के पश्चात बडे पशु, लघु पशु मछली, कुक्कुट डेरी गौशाला रोग नियंत्रण एवं बचाव कार्य हेतु विभिन्न पदो की स्थापना की गयी व वर्ष 1945 मे वैक्सीन एवं सीरम के निर्माण हेतु बी0पी0 सेक्शन एवं कृत्रिम गर्भाधान व बॉझपन हेतु ऐनीमल जेनेटिस्ट की नियुक्ति की गयी व वर्ष 1946 मे माधुरी कुण्ड (मथुरा) क्षेत्रीय पशुधन अनुसंधान केन्द्र खोला गया ।

1947 में पशुचिकित्सालय के नियंत्रण हेतु यू0पी0 प्रोविलाईजेशन आफ हास्पिटल एक्ट तथा वैटनरी प्रैक्टिशनर के पंजीकरण हेतु यू0पी0 वैटनरी कौन्सिल एक्ट पारित किये गये।

वर्ष 1953 में गौ संवर्धन इनक्वायरी कमेटी का गठन किया गया जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 अस्तित्व मे आया आने वाले समय की मॉग को देखते हुए क्रमशः 1947 व 1960 में पशुचिकित्सा विभाग एवं पशुपालन महाविद्यालय मथुरा एवं पन्तनगर (नैनीताल) की स्थापना की गयी जिसके अर्न्तगत 4 वर्षीय बी0वी0एस0सी तथा 2 वर्षीय एम0वी0एस0सी0 पाठयक्रमों की शुरूवात हुई ।

वर्ष 1964 मे यू0पी0 लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट एक्ट यू0पी0 गौशाला एक्ट पारित किये गये एवं इसके अतिरिक्त यू0पी0 काऊ स्लाटर नियम बनाये गये।

उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थिति पशुपालन निदेशालय मे सर्वप्रथम निदेशक की सहायता हेतु अपर निदेशक, उपनिदेशक, मुख्यालय लघुपशु (की विलेज स्कीम) (रिन्डर पैस्ट) बनाये इसके अतिरिक्त निम्न अनुभाग पशुधन अनुभाग, सामान्य अनुभाग, आडिट एवं लेखा स्थापना योजना सांख्यकी पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र स्थापित किये गये। पशुधन विकास के अन्तर्गत नस्ल सुधार को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिस्थितियो के अनुसार कालसी फार्म देहरादून तथा चकगजरिया (लखनऊ) पर यह योजना चलायी गयी एवं बुल रियरिंग फार्म मथुरा तथा आटा (जालौन) निदेशक के नियंत्रण मे स्थापित किये गये और ग्रामीण जनपदों को लाभ देने के लिए राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग के अर्न्तगत 14 प्रक्षेत्रो पर काम किया गया जिसमें उत्तराखण्ड राज्य में केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र पशुलोक ऋषिकेश एवं राजकीय पशुधन एवं दुग्धशाला प्रक्षेत्र कालसी देहरादून में स्थापित हैं ।

बहतर प्रशासनिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु 9 सर्किलो मे बॉटा गया और प्रत्येक सर्किल मे उपनिदेशक कार्य देखने हेतु रखे गये। उत्तराखण्ड राज्य में 2 मण्डल अब भी कार्यरत है ।

1. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊ मण्डल ।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढवाल मंडल।

तथा प्रत्येक जनपद मे जिला पशुधन अधिकारी रखे गये थे, जो अब उत्तराखण्ड राज्य मे 13 जनपदों मे मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के रूप मे कार्यरत हैं।

उत्तराखण्ड राज्य मे पशुपालन विभाग के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए यू0एल0डी0बी0,यू0एस0डब्लू0डी0बी0, उत्तराखण्ड राज्य पशु कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग एवं पशुचिकित्सालय/पशुसेवा केन्द्र स्थापित हैं ।

मैनुअल संख्या–1

संगठन की विशिष्टियॉ कृत्य एवं कर्तव्यः–

1. प्रक्षेत्र की स्थिति

कालसी प्रक्षेत्र देहरादून चकराता मुख्य मार्ग पर देहरादून से 52 कि.मी की दूरी पर समुद्रतल से 1807 फिट की ऊंचाई पर आरक्षित वन सीमा कालसी कम्पार्टमेंट संख्या 13–14 के मिलान पर स्थित है। यह जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत है। इस क्षेत्र में लगभग औसतन प्रतिवर्ष 130 सेमी0 से 150 सेमी0 वर्षा होती है तथा उत्तरी भारत की भांति सर्दियों में सर्दी तथा गर्मियों में गर्मी अधिक पड़ती है। सर्दियो का न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री से.ग्रे. तथा ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री. से0ग्रे0 तक होता है। इस प्रक्षेत्र के तीन तरफ नदियां है अर्थात पूरब में अमलावा, पश्चिम में टोन्स तथा दक्षिण में यमुना नदी प्रवाहित है।

2. प्रक्षेत्र का संक्षिप्त इतिहास

यह प्रक्षेत्र एक व्यापारी द्वारा 1937 में स्थापित किया गया। बाद में इसे सैनिक दुग्धशाला के रूप में परिवर्तित किया गया। वर्ष 1953–54 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रक्षेत्र का अधिग्रहण किया गया।

प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रक्षेत्र पर शुद्ध रेड सिन्धी एवं जर्सी/क्रास जर्सी तथा मुर्रा नस्ल की भैंसों का प्रजनन कार्यक्रम संचालित किया गया। वर्ष 1972–73 में इस प्रक्षेत्र से मुर्रा भैंसों को अन्य प्रक्षेत्र में स्थानान्तरित करके यहां आस्ट्रेलिया से आयातित जर्सी नस्ल के प्रजनन हेतु उनके रखरखाव एवं प्रजनन का कार्य प्रारम्भ किया गया। शासन द्वारा अप्रैल 2005 से कालसी प्रक्षेत्र यू.एल.डी.बी. को हस्तान्तरित किया जा चुका है। वर्तमान में प्रक्षेत्र में शुद्ध रेड सिन्धी नस्ल के पशुओं का रख–रखाव किया जा रहा है, और उनके प्रजनन का कार्य संचालित/सम्पन्न हो रहा है।

प्रक्षेत्र का क्षेत्रफल :

कालसी प्रक्षेत्र 70.30 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित है जिसका विवरण निम्नवत् है :

क्र.सं.	भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हे.में)
1	भूमि का कुल क्षेत्रफल	70.30
2	कृषिकृत क्षेत्रफल (चारा उत्पादन तथा चारा के सेन्टर आफ एक्सीलेन्स हेतु)	41.60
	• सिंचित	29.00
	• असिंचित	12.60
3	मकान, सड़क नाली आदि	13.40
4	बाग बहार	11.16
5	चारा पत्ती, वृक्ष (ढांग, उबड़–खाबड़)	4.14
	योग	**70.30**

उद्देश्य :

इस प्रक्षेत्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नवत है :

1. राष्ट्रीय महत्व की विलुप्तप्राय रेड सिन्धी नस्ल की गाय का संरक्षण एवं सम्वर्द्धन।
2. भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी से उत्तम कोटि के गाय सांड उत्पन्न कर अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों को उपलब्ध कराना।
3. पर्वतीय क्षेत्र के कम दुग्ध उत्पादक पशुओं की नस्ल सुधार के लिए उन्नत नस्ल के सांड़ का उत्पादन करके विभाग के माध्यम से पशुपालकों को वितरित करना।
4. भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी पर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रदेशों के पशुचिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षित करना।

5. प्रक्षेत्र में उपलब्ध भूमि पर प्रक्षेत्र में रखे जा रहे पशुओं के लिये उन्नत चारा बीजों से हरे चारे का उत्पादन करना, जिससे उन्हें ससमय वर्षभर निरन्तर पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध हो सके, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता बनी रहे।
6. पशुपालको/कृषकों को पशु प्रबन्धन तथा चारा विकास सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देना।
7. चारा विकास के सेन्टर आफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रक्षेत्र में चारा बीज, रूट्स ,कटिंग्स आदि का उत्पादन/प्रदर्शन एवं उत्पादन/प्रसार हेतु उसे ग्रामीण पशुपालकों को उपलब्ध कराना।
8. फीडर फोडर बैंक पर राहत एवं दुधारु चारा भेली तैयार कर विभिन्न उप चारा केन्द्रों के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश में वितरित करना जिससे आपदा एवं अन्य आपात स्थिति में काश्तकारों की चारे की समस्या दूर हो सके।

मैनुअल संख्या–2

प्रक्षेत्र पर कार्यरत/स्वीकृत पदो का विवरण

प्रक्षेत्र में विभागीय पदों एवं उनके समक्ष वर्तमान में कार्यरत स्टाफ का विवरण निम्नवत् है :

स्टाफ का विवरण	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत पद**	**रिक्त पद**
समूह –क	2	2	–
समूह –ख	4	3	1
समूह –ग	8	10	4
समूह –घ	11	22	–
योग	**31**	**37**	**5**

प्रक्षेत्र में विभागीय स्वीकृत पदों एवं भरे हुए पदों का पदवार विवरण निम्नवत् है :

प्रारूप पत्र 1

क्र0 सं0	प्दनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	परियोजना निदेशक	1	1		
2	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1	1	1	–	
3	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2	3	2	1	
4	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	1	–	
5	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	–	सम्बद्व यू0एल0डी0बी0
6	कृषि प्रभारी / चारा सहायक ग्रप–2	1	–	1	सम्बद्व श्यामपुर
7	सहायक लेखाकार	1	–	1	रिक्त
8	वरिष्ठ सहायक	2	2	–	
9	विधुतकार	1	1	–	मृत संवर्ग
10	कनिष्ट सहायक	2	1	1	
11	पशुधन प्रसार अधिकारी	3	2	1	
12	ट्रैक्टर आपरेटर	2	2		मृत संवर्ग
13	जीप चालक	1	1		
14	ग्वाला/पशुधन सहायक	11	22		
योग		**31**	**37**	**5**	

प्रारूप पत्र 2 वेतनमान सहित

क्र0संख्या	संवर्ग का नाम	पद नाम	वेतन मान	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मी	रिक्त पद
1	समूह–क	परियोजना निदेशक	123100-215900	1	1	
2	समूह–क	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1	78800-209200	1	1	–
3	समूह–ख	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2	56100-177500	3	2	1
4	समूह–ग	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	47600-151100	1	–	1
5	समूह–ग	प्रशासनिक अधिकारी	44900-142400	1	1	–
6	समूह–ग	चारा सहायक ग्रप–2	29200-92300	1	–	1
7	समूह–ग	सहायक लेखाकार	29200-92300	1	–	1
8	समूह–ग	वरिष्ठ सहायक	29200-92300	2	2	
9	समूह–ग	विधुतकार	35400-112400	1	1	
10	समूह–ग	कनिष्ट सहायक	21700-69100	2	1	1
11	समूह–ग	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400-112400	3	2	1
12	समूह–ग	ट्रैक्टर आपरेटर	44900-142400	2	2	
13	समूह–ग	जीप चालक	44900-14200	1	1	
14	समूह–घ	ग्वाला/पशुधन सहायक	29200-92300	11	22	
	योग			**31**	**37**	**5**

मैनुअल सख्या –3

विभागीय संरचना का विवरण

प्रदेश स्तर पर योजना से सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी योजना के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश अनुश्रवण एंव प्रदेश स्तरीय लक्ष्यों का शतप्रतिशत आपूर्ति करना जनपद/मण्डल स्तर की कठिनाइयों को त्वरित निराकरण	निदेशक
मण्डल स्तर/परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त जनपदों में योजना एंव कार्य पर नियंत्रण/अनुश्रवण।	अपर निदेशक गढवाल मण्डल/ कुमांयू मण्डल अपर निदेशक पशुधन गोपेश्वर
जनपद स्तर पर–	संयुक्त निदेशक/ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
विकास खण्ड स्तर पर–	पशु चिकित्साध्किारी ग्रेड–1
न्याय पंचायत स्तर पर–	पशुचिकित्साधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी

बोर्ड /परिषदः–

1–उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद मुख्यालय देहरादून

(क)अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र श्यामपुर
(ख)प्रशिक्षण केन्द्र पशुलोक/कालसी
(ग)कालसी प्रक्षेत्र
(घ) सीमन केन्द्र लालकुआं
(ड़) विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारी सैण

मुख्य अधिशासी अधिकारी

2–उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेंट बोर्ड — मुख्य अधिशासी अधिकारी

3–उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड– — सचिव पशु कल्याण बोंर्ड सम्पूर्ण राज्य परिषद के आधीन चल रहे सभी योजना के प्रति उत्तरदायित्व

4–उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद– — रजिस्ट्रार सम्पूर्ण राज्य परिषद के अधीन चल रही सभी योजना के प्रति उत्तरदायित्व

मैनुअल सख्या–4

कृत्यो के निर्वहन के लिये स्वय द्वारा स्थापित मापमानः–

(अ) 1.डेरी प्रक्षेत्र पर विलुप्तप्राय रेड सिन्धी नस्ल की गायों का प्रजनन एवं सम्वर्द्धन।

3. उपरोक्त प्रजनन कार्यक्रम से उत्पन्न उन्नत नस्ल के नर बछड़ों को सांड़ के रूप में तैयार कर नैसर्गिक अभिजनन/अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरण।प्रक्षेत्र में वर्तमान में उपलब्ध पशुओं का विवरण निम्नवत् है :

Perticulars	Sindhi	JXS	HF	Jersey	Sahiwal	Total
Cows	87	113	0	0	06	206
Heifers	65	85	6	3	36	195
Female Calves	50	27	0	3	04	84
Bull Calves	06	00	0	0	0	06
Male calves	14	35	0	0	0	49
Total	222	260	06	06	46	540

प्रशिक्षण केन्द्र कालसी

नस्ल	विवरण	संख्या
1	2	
सिन्धी	गाय/हीफर	12
	सांड/बैल	28
सिन्धी क्रास	गाय/हीफर	14
	सांड/बैल	23
	योग	77

प्रक्षेत्र के प्रजनन अनुभाग की विगत पॉचः वर्षों की प्रगति निम्नवत् रही :

क्र. सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	कुल पशुओं की संख्या	631	549	591	564	590	540
2	कुल गायों की संख्या	237	174	196	186	204	206
3	दुग्ध में गायों की संख्या	107	95	112	125	114	104
4	कुल दुग्ध उत्पादन (कि0ग्रा0 में) VLV vk/kkj	267057.5	257010.5	288649	285669.75	253848	22914.5
5	औसत दुग्ध उत्पादन (कि0ग्रा0 प्रतिदिन)	6.6	6.4	7.10	7.4	6.3	6.7
6	कृत्रिम गर्भाधान	178	213	226	208	148	2197
7	कनसेप्सन रेट (प्रतिशत में)	70	75	71	73	70	71
8	वत्स उत्पन्न	123	132	155	171	145	165
9	सांड वितरण	34	29	12	32	44	46
10	प्रशिक्षण	437	249	366	344	267	247
11	गौ मूत्र अर्क ली0 में	12320	15400	17000	26190	25218	20398
12	वर्मी कम्पोस्ट कु0में	13.2	4.23	6.53	6.24	27.15	2.52

(ब) भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम :. भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के उपयोग द्वारा रेड सिन्धी नस्ल, होलेस्टिन एवं जर्सी के वत्सों को उत्पन्न करना तथा उत्पन्न नर बछड़ों को अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन हेतु विक्रय करना।

भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कालसी फार्म में उपलब्ध विलुप्तप्राय राष्ट्रीय महत्व की रेड सिन्धी नस्ल की गायों के संवर्द्धन एवं संरक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इस विलुप्तप्राय शुद्ध रेड सिन्धी नस्ल के मात्र दो ही फार्म देश भर में हैं। इनमें से एक कालसी (देहरादून) तथा दूसरा चिपलिमा (संभलपुर–उड़ीसा प्रदेश) में स्थित है। यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय महत्व की एवं विलुप्तप्राय नस्ल होने के कारण रेड सिन्धी नस्ल को भारत सरकार के Conservation of Native Breed Program के अन्तर्गत चिन्हित करके कालसी प्रक्षेत्र को शुद्ध रेड सिन्धी नस्ल के सम्वर्द्धन एवं संरक्षण हेतु चयनित किया गया है।

प्रक्षेत्र में देशी प्रजाति की रेड सिन्धी गायों के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन हेतु राष्ट्रीय गौ एवं महिशवंशीय प्रजनन परियोजना के अन्तर्गत भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसकी प्रगति का विवरण निम्नवत् है :

रेड सिन्धी गायों भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम

S. No.	Descriptions	Results
1	Total superovulations	235
2	Total Flushing	213
3	Embryos recovered	1579
4	Transferable embryos	1105
5	Embryos transferred	573
6	Pregnancy established	258
7	Calves born	204
8	Frozen Embryos	532
9	Embryos sold	296

आयातित भ्रूणों की प्रगति रिपोर्ट

Descriptions	HF	Jersey	Total
Total imported embryos	121	99	220
Transferred embryos	119	95	214
Pregnancy established	61	42	103
Calf born	49	31	80
Male	27	16	43
Female	22	15	37

(ब) चारा उत्पादन कार्यक्रम :

प्रक्षेत्र में रखे गये पशुओं हेतु फसलचक्रवार कुल 41.60 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर मौसमी हरा चारा यथा वरसीम, जई, मक्का, लोबिया, ज्वार आदि का उत्पादन हो रहा है।

(स) चारा विकास के लिये प्रक्षेत्र का सेन्टर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकास

इस प्रक्षेत्र पर 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चारा घासों के सेन्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना की गयी है, जिसमें नैपियर, पैराग्रास, राई, गुणी आदि घासों तथा अन्य मौसमी बीजों को उत्पादित कर उनके बीज, रूटस्टाक एवं कटिंग्स आदि का वितरण सुनिश्चित हो रहा है।

(द) प्रशिक्षण कार्यक्रम :

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न अंचलों से आये कृषकों को पैरावेट सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया है।

उत्तराखण्ड के अतिरिक्त बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश एवं सिक्किम के भी कृषकों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के पशुपालन एवं चारा विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण दिये गये।

(य) बाग बहार कार्यक्रम :

प्रक्षेत्र पर विभिन्न प्रजातियों के आम, लीची, आंवला आदि फलदार वृक्षों को लगाया गया है जिससे प्रक्षेत्र को 10.75 लाख की आय प्राप्त हुई है।

(ज) फीडर फाडर बैंकः– उत्तराखण्ड के विभिन्न अंचलों में कार्यरत उपचारा बैंक में बिल के आधार पर कृषकों को उनके पशुधन हेतु राहत भेली/चाटन भेली तैयार कराकर वितरित कराई जाती है।

चारा उत्पादन कार्यक्रम :

प्रक्षेत्र में रखे गये बहुमूल्य पशुओं हेतु फसलचक्रवार कुल 41.60 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर मौसमी हरा चारा यथा वरसीम, लूर्सन, जई, मक्का, लोबिया, ज्वार आदि का उत्पादन हो रहा है।

9.चारा विकास के लिये प्रक्षेत्र का सेन्टर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकास

इस प्रक्षेत्र पर 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चारा घासों के सेन्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना की गयी है, जिसमें नैपियर, पैराग्रास, राई, गुणी आदि घासों तथा अन्य मौसमी बीजों को उत्पादित कर उनके बीज, रूटस्टाक एवं कटिंग्स आदि का वितरण सुनिश्चित हो रहा है।

इसी तरह प्रक्षेत्र के कृषि अनुभाग की विगत पॉच : वर्षों की प्रगति निम्नवत् रहीः

Crop Season	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
Kharif	5913	3127	5318	6540	8415
Ravi	5045	3688	4118	4924	6026
Napier	6312	5578	5571	4038	4000
Total	17270	12393	15007	15502	18441

प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेंट बोर्ड, कोटी रोड़ कालसी

वर्ष 2018–19 में आये प्रशिक्षणार्थियों का विवरण

क0सं0	अवधि (कब से कब तक)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अभियुक्ति
01	22.05.2018 से 05.06.2018	07	उपसा बैच
02	07.06.2018 से 08.06.2018	10	आजिविका
03	12.07.2018 से 26.07.2018	15	एन0डी0डी0बी0
04	01.07.2018 से 05.08.2018	11	उपसा बैच
05	27.08.2018 से 31.08.2018	21	यू0एस0आर0एल0एम0
06	24.09.2018 से 08.10.2018	19	उपसा
07	10.10.2018 से 14.10.2018	23	यू0एस0आर0एल0एम0
08	25.10.2018 से 27.10.2018	17	यू0एफ0आर0एम0एफ0
09	11.11.2018 से 25.11.2018	14	एन0डी0डी0बी0
10	12.01.2019 से 26.01.2019	18	उपसा बैच एवं एन0डी0डी0बी0
11	05.02.2019 से 07.02.2019	07	पशु चिकित्साधिकारी
12	22.02.2019	30	पशु पालक
13	26.02.2019 से 28.02.2019	25	उपसा बैच
14	15.03.2019 से 29.03.2019	30	उपसा बैच एवं एन0डी0डी0बी0
	योग	247	

फीडर फॉडर बैंक, उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेंट बोर्ड, कालसी
चारा भेली (सी0एफ0बी0) वितरण विवरण वर्ष 2018–19

क्रम सं0	काम्पैक्ट फीड ब्लाक	मद	मात्रा
1	12 किग्रा0 राहत भेली	उत्पादन	96800 भेली
		वितरण	96532 भेली
2	14 किग्रा0 दुधारु भेली	उत्पादन	4498 भेली
		वितरण	4826 भेली

वित्तीय स्थिति :

प्रक्षेत्र के विगत पॉचः वर्षों के आय–व्यय का विवरण निम्नवत् है :

क्र0 सं0	वर्ष	वेतन		आकस्मिक व्यय		कुल योग		आय
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	
1	2013–14	105.51	105.51	1.00	1.00	205.51	205.41	99.6
2	2014–15	154.85	154.85	3.97	3.97	158.82	156.82	86.9
3	2015–16	174.32	174.32	4.16	4.16	178.48	178.48	119.20
4	2016–17	99.80	97.60	3.87	3.86	103.67	101.46	136.09
5	2017–18	2058.8	2058.8	3.87	3.77	2062.67	2062.57	
6	2018–19	2409.4	2409.01	361.00	353.35	2770.4	2762.36	

मैनुअल संख्या–5

प्रक्षेत्र पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों उत्तरादायित्व एवं कर्तव्यों का विवरणः–

परियोजना निदेशक :–

परियोजना निदेशक, मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एल0डी0बी0 देहरादून एवं निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड के निर्देशन में कार्य करेगें।

1– परियोजना निदेशक प्रक्षेत्र का पूर्ण रूपेण इन्चार्ज है ।

2– परियोजना निदेशक प्रक्षेत्र के समस्त कार्यकलापो को सुचारू रूप से चलाने के उत्तरदायी होगे।

3–ये स्वंय उत्तरदायी है कि क्षेत्र के कार्यक्रम लाभदायक एवं उपयोगी हो तथा उनमें किसी भी प्रकार की अनियमिततायें न हों ।

4–क्षेत्र पर कार्यरत कर्मचारियों से सम्बन्धित अभिलेखो का ठीक प्रकार से रखरखाव तथा अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां समय से करवाना तथा उसकी पुष्टि करना ।

5–उन कर्मचारियों के जिनके कि वे नियुक्त अधिकारी स्वंय ही है उनको दण्ड एवं सेवाओं के समाप्त करने का नियमानुसार अधिकारी है।

6– वे अपने अधिकारो के अर्न्तगत उन सभी कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के सक्षम अधिकारी है।

7– वह इस बात के स्वंय उत्तरदायी है कि वे देखे कि क्षेत्र के कार्यरत कर्मचारी ऍव श्रर्मिको का दुरूपयोग न हो एवं उनको समय समय पर आवश्यकतानुसार इस प्रकार के निर्देश दिये जायें कि कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा जिससे कि प्रक्षेत्र पर हानि होने की सम्भावना उत्पन्न न हो।

8–इसके लिए वे स्वंय उत्तरदायी है कि वे प्रक्षेत्र की जीप का दुरूपयोग न होने दें ।

9–प्रक्षेत्र पर जो भी भवन एवं भूमि है उनकी उनका रख रखाव सूनिश्चित करेगें। ।

10–मुख्यालय (प्रक्षेत्र) से समय–समय पर पारित किये गये आदेशो एवं निर्देशो का सही रूप से पालन किया जाये यदि उसमें किसी प्रकार की शिथिलता बरती गयी पाई जाती है तो उसके लिए वे स्वंय उत्तरदायी होंगे ।

11– प्रक्षेत्र पर प्रक्षेत्र के सभी भण्डारों का साल में दो बार भौतिक सत्यापन किया जाये,तथा भण्डार की पुस्तिका में लेखाये करते हुए स्थिति की सूचना निदेशक को दी जाये।

12– मुख्यालय (क्षेत्र) से जो भी अधिकारी निदेशक के आदेशानुसार आरोप की जॉच के सम्बन्ध में क्षेत्र पर जाता है तो उसको इच्छानुसार समस्त अभिलेख एवं गवाह उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न की जाये।

13– परियोजना निदेशक अपने क्षेत्र के उन कर्मचारियों की सूची जो डेढ वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होने जा रहे है उनकी छःमाही लिस्ट अर्थात दिसम्बर एवं जून, जो भी हो इस

कार्यालय को क्रमशः जनवरी/जुलाई के प्रथम पखवारे में प्रत्येक दशा में प्रस्तुत करने का कष्ट करेगें।

14–परियोजना निदेशक के अधीनस्थ जो भी कर्मचारी कार्यरत है उनकी सेवा पुस्तिका अथवा सर्विस रोल पूर्ण रूपेण रक्खे जाये। अपूर्ण होने पर उससे होने वाली देरी के भी वह स्वंय उत्तरदायी होगें ।

15– प्रक्षेत्र पर जो कर्मचारी कार्यरत है उनके सेवानिवृत्त होने के छःमॉह पूर्व उनसे सम्बन्धित पेन्शन पेपर्स तैयार कर प्रेशन प्रकरण के निस्तारण हेतु समय से कार्यवाही करनी होगी।

16– जिन कर्मचारियों को सेवाओं से सेवानिवृत्त होना है उनके डेढ वर्ष पूर्व से वे जहॉ जहॉ पर रहे है उनसे सम्बन्धित है नोडयूज प्रमाण पत्र प्राप्त करके पूर्ण रखे ।

17– प्रक्षेत्र के प्रत्येक अधिनस्थ कर्मचारियो के कार्यो का विभाजन इस प्रकार से किया जाये कि उसमें किसी प्रकार का किसी भी कर्मचारी को उससे आपत्ति न हो ताकि कार्य सुचारू रूप से सम्पादित हो सकें ।

प्रक्षेत्र पर रेड सिंधी एवं अन्य नस्ल की गायों का संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु उचित कार्यवाही करना।

18 प्रक्षेत्र के समस्त उत्पादो यथा – दूध, गौमूत्र, गोबर, उत्पन्न वत्स, चारा घास, चारा बीज आदि का उत्पादन एवं विक्रय कराना।

19. प्रक्षेत्र की कृषि योग्य भूमि पर चारागाह विकास का कार्य सम्पादित कराना।

20 प्रशिक्षण केन्द्र पर कृषकों, पैरावेट्स, पशु चिकित्सकों आदि को प्रशिक्षण दिलवाना।

21. प्रक्षेत्र हेतु उपलब्ध बजट का आह्रण वितरण का कार्य सम्पादित करना।

22. फीडर चारा बैंक, कालसी के समस्त कार्यो यथा– कच्चे माल का उपार्जन, माल का निर्माण, संग्रहण, वितरण एवं विक्रय का संपादन एवं अनुश्रवण करना।

23. कार्यालयाध्यक्ष के रुप में वित्तीय अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना।

24. स्वयं से एक स्तर कनिष्ठ एवं कनिष्ठतम अधिकारी कर्मचारियों के यात्रा कार्यक्रमों की स्वीकृति।

प्रक्षेत्र के आवासीय/अनावासीय/अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था करना ।

पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1 प्रक्षेत्र

1–पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1 प्रक्षेत्र पर डेरी अनुभाग का प्रभारी होगा तथा वह अनुभाग में नियुक्त कर्मचारियो की सहायता से पशु डेरी अनुभाग का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित करेगा ।

2– प्रक्षेत्र पर पशु प्रजनन सम्बन्धी समस्त कार्यों का निर्वहन करेंगें।

डेरी अनुभाग की मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करवायेंगें।

3– प्रक्षेत्र पर भ्रण प्रत्यारोण कार्य का संचालन करेगेंतथा भ्रूण प्रत्यारोण तकनीक में प्रशिक्षण का संचालन प्रशिक्षण कोओरडिनेटर के रुप में करेगें।

4– वह अपने अनुभाग से सम्बन्धित सभी अभिलेख अपने सहायको की सहायता से पूर्ण रखेगें

5– वे पशुधन अनुभाग के सम्बन्ध में सभी स्टेटमेन्ट को सही सही भरवाकर तथा जॉच कर परियोजना निदेशक कालसी के माध्यम से यू0एल0डी0बी0 मुख्यालय को प्रेषित करायेगें ।

6– वे परियोजना निदेशक की अनुपस्थिति में प्रक्षेत्र के समस्त कार्यो की देखरेख करेगें ।

7– पशुओं के उचित प्रजनन हेतु पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें, इसके अतिरिक्त पशुओं मे गर्भधारण, उनका ब्याना आदि निर्धारित मानको के अनुसार हो इस पर विशेष ध्यान रखेगें ।

8– पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1 यह सुनिश्चित करेगें कि गाय ब्याने के पश्चात समय पर अवश्य गाभिन हो जाये जो पशु गर्भधारण न कर पा रहे हो ऐसे पशुओं का निरीक्षण करके अवश्यक इलाज करेगें ।

9– वे सभी आयु तथा वर्ग के पशुओं के लिए वर्ष भर के लिए दाने, चारे की व्यवस्था हेतु मॉग पत्र प्रक्षेत्र प्रभारी के सम्मुख प्रस्तुत करेगें।

10–पशुचिकित्साधिकारी पशुओं की फिडिग पर विशेष ध्यान रखेगें और यह देखेगें कि दुधारू ऍव गाभिन पशुओं को सन्तुलित आहार मिलता रहे जिससे कि उनका स्वास्थ्य एवं उत्पादन ठीक रहे।

11– पशुओं के आवासीय बंगलो, बाडो आदि की सफाई की उचित व्यवस्था करना ।

12– पशुओं के खाने एवं पीने की चरही आदि की सफाई की व्यवस्था करना ।

13– पशुओं एवं उनके बच्चों का भार नियमित रूप से लेने का प्रबन्ध करना तथा जिनका भार कम हो रहा हो अथवा बढवार उचित न हो उनके कारणों का पता लगाकर उनके निदान की उचित व्यवस्था करना ।

14– प्रक्षेत्र पर शासन के आदेशानुसार संयोजक के रुप में पशुओ के विचयन के प्रस्ताव समय से प्रस्तुत करेगें ।

15–आवश्यक सामग्री बीमारियो की जॉच हेतु विभिन्न प्रयोगशालाओ को भेजेगें।

16–पशुओं के उत्पादन को बढाने के प्रयास करेगें तथा उत्पादन का लेखा ठीक ढंग से रखवायेगें।

17– डेरी अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी की उपस्थिति सत्यापित करना।

पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1, परियोजना निदेशक के निर्देशन में दिये गये कार्यों का सम्पादन करेगें।

पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–2 प्रक्षेत्र

पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2 डेरी अनुभाग के सुचारु संचालन हेतु पशुचिकित्साणिकारी ग्रेड–1 को पूर्ण सहयोग देंगें।

1–वे प्रक्षेत्र पर पाले जा रहे पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण उत्तरदायी होगे । इस सम्बन्ध में सामान्य बीमारियों के बचाव तथा इलाज की समयान्तर्गत व्यवस्था करेगें। पशुओं को समय पर 2–टीका लगवाना तथा उनकी जॉच आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

3–वे दवाओ का वार्षिक मॉग पत्र समयान्तर्गत प्रक्षेत्र प्रभारी के सम्मुख प्रस्तुत करेगें ।

4–पशुओ के रखरखाव मे उत्पन्न बीमारियो जैसे नेवलइन,मैसटाइटिस खुजली तथा छोटे बच्चो के दस्त आदि के बचाव तथा रखरखाव के सुधार को सुनिश्चित करेगें ।

5–पशुओं का पोस्टमार्टम करेगें तथा रिपोर्ट भिजवायेगें ।

6–वे मैसटाइटिस पीडित पशुओं का सुचारू रूप से इलाज करेगें तथा दुहान में स्वच्छता के निर्देशों का पालन अपने समक्ष करायेगें ।

7–पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2, परियोजना निदेशक एवं पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1 के निर्देशन में दिये गये कार्यों का सम्पादन करेगें।

पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–2 प्रशिक्षण केन्द्र कालसी

1–पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2 प्रशिक्षण केन्द्र पर पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण उत्तरदायी होगे। इस सम्बन्ध में सामान्य बीमारियों के बचाव तथा इलाज की समयान्तर्गत व्यवस्था करेगें।

2–पशुओं को समय पर टीका लगवाना तथा उनकी जॉच आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

3–प्रशिक्षण केन्द्र पर कृषको एवं पैरावेट का प्रशिक्षण एवं रख रखाव करना सुनिश्चित करेगें।

4–प्रशिक्षण केन्द्र के हास्टल, परिसर की समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगें।

5–पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2 प्रशिक्षण केन्द्र पर क्वराइन्टाईन शैड में रखे पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण उत्तरदायी होगे इस सम्बन्ध में सामान्य बीमारियों के बचाव तथा इलाज की समयान्तर्गत व्यवस्था करेगें।

पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2, परियोजना निदेशक के निर्देशन में दिये गये कार्यों का सम्पादन करेगें।

पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–2 चारा बैंक

1– पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2 चारा बैक पर क्रय किये गये भूसे, दाना, एवं शीरा के स्टाक को व्यवस्थित करेगें। प्रतिदिन उपलब्ध भूसे, दाना, एवं शीरा के स्टाक को मेन्टेन करना सुनिश्चित करेगें।

2– चारा बैंक पर उपलब्ध मशीनों/ उपकरणों आदि का रख रखाव सुनिश्चित करेंगें।

3– चारा बैंक पर बनने वाले चारा भेली को स्टोर में उचित रुप से व्यवस्थित करना तथा उनका स्टाक प्रतिदिन स्तर पर व्यवस्थित करेगें।

4– चारा बैंक पर बनने वाली चारा भेली का वितरण का रिकार्ड रखेंगें।

5–चारा बैंक के परिसर को साफ व व्यवस्थित रखना सुनिश्चित करेगें।

पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2, परियोजना निदेशक के निर्देशन में दिये गये कार्यों का सम्पादन करेगें।

प्रक्षेत्र चारा सहायक ग्रप–2 के कर्तव्य :–

1–ग्रुप दो सहायक कृषि प्रभारी होगे, तथा कृषि अनुभाग के भौतिक एवं वित्तीय कार्यकलापो के उत्तरदायी होगें ।

2– कृषि अनुभाग के समस्त अभिलेखों का रखरखाव उन्हें समयान्तर्गत पूर्ण करना उनका उत्तरदायित्व होगा ।

3–प्रतिदिन कृषि क्रियाओ में आवश्यकतानुसार प्रयोग होने वाले दैनिक श्रमिक की व्यवस्था तथा उनकी उपस्थिति लेना उनका कार्य विभाजन करके कार्य पर लगाना ।

4– कृषि से सम्बन्धित पत्राचार क्षेत्र प्रभारी के निर्देशानुसार करना ।

5–प्रक्षेत्र की कृषि योग्य भूमि पर फसल चक्र के अनुसार चारा फसल उत्पादित करेगें।

6–प्रक्षेत्र पर कृषि योग्य भूमि को की उर्वरकता बनाये रखने के लिए डेरी अनुभाग में उपलब्ध

7–गाय के गोबर का कम्पोस्ट तैयार कर वर्ष में तीन बार प्रक्षेत्र के कृषि भूमि में आवश्यकतानुसार डालेंगे

8–कृषि भूमि के लिए बीज खाद उर्वरक एवं अन्य सामग्री की मांग परियोजना निदेशक को प्रस्तुत करेगें।

9–प्रक्षेत्र की कृषि भूमि पर चारा फसल की आवश्यकतानुसार सिंचाई सुनिश्चित करेगें।

10–प्रक्षेत्र की कृषि भूमि पर तैयार चारा फसल को आवश्यकतानुसार कटवा कर एवं तौल कर डेरी अनुभाग को उपलब्ध करवायेगें।

11–कृषि प्रभारी वर्ष भर प्रक्षेत्र पर पाले जा रहे पशुओं हेतु हरा चारा उपलब्ध करवायेगें। अकृषिकृत भूमि में चारागाह विकास का कार्य सम्पादित कराना।

12–नैपियर जड विचयन हेतु तैयार करना ।

13–चारा बीज का उत्पादन कराना।

14–प्रक्षेत्र पर उपलब्ध भूमि तथा चल अचल सम्पत्तियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कि उस पर किसी का अनाधिकृत कब्जा न हो आवश्यक व्यवस्था रखना ।

15– कृषि उत्पादन को सुरक्षित भण्डारित कराना तथा उत्पादन के ऑकड़ो का रखरखाव ठीक प्रकार से रखना ।

16–दैवीय आपदा से फसल कुप्रभावित होने पर हॉनि की सूचना सम्बन्धित अधिकारी को देना।

17–प्रतिदिन कृषि में होने वाले कार्यक्रमो को एक दिन पूर्व ही परियोजना निदेशक के मार्ग दर्शन मे तैयार करना तथा उसका व्यौरा पंजिका मे अंकित करना साथ ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उस दिन के कार्यक्रम का सम्पादन कराना यदि कार्यक्रम के अनुसार कार्य किसी कारणवश न हुआ अथवा उसमें कोई परिवर्तन किया गया उसका व्यौरा भी उसी पंजिका में रखना ।

पशुधन अनुभाग में कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारी (3 पद) के कर्तव्य :–

1– पशुधन प्रसार अधकारी , प्शुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1 के निर्देशन में डेरी अनुभाग के अभिलेखों का रखरखाव उसे समयार्न्तगत पूर्ण करेगें ।
सुबह शाम दुहान करवाना एवं प्रत्येक पशु का दुहान का रिकार्ड करना
2– पशुओं के दाने चारे की मॉग समयान्तर्गत डेरी अनुभाग प्रभारी के माध्यम से प्रक्षेत्र प्रभारी को प्रस्तुत करेगें तथा पशुओं को दाना,चारा उपलब्ध करायेगें ।
3– पशुओं के ब्रीडिग एवं दुग्ध उत्पादन के सम्बन्ध में समस्त अभिलेखों का रख रखाव करेगें।
डेरी अनुभाग में प्रयोग होने वाले चारा भूसा एवं दाना का प्रतिदिन रख रखाव करना।
4–पशु अनुभाग से सम्बन्धित पत्राचार प0चि0अ0 / परियोजना निदेशक के निर्देशानुसार करेगें।
5– पशुओं को समय पर टीका आदि लगवाने की व्यवस्था करायेगें।
6–अनुभाग में प्रतिदिन की आवश्कतानुसार श्रमिकों की व्यवस्था करना उन्हें कार्यो पर लगाना,उनकी उपस्थिति का व्यौरा रखना।
7–अनुभाग मे सफाई आदि की व्यवस्था करायेगें।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीः– परियोजना निदेशक के कार्यालय का प्रभारी रहेगा एवं बजट,आंडिट रिपोर्ट,आय व्यय विवरण आदि कार्यो के साथ–2 समस्त पटलों से कार्य लेने की जिम्मेदारी व0प्र0अ0 की होगी।

प्रशासनिक अधिकारी:–यू0एल0डी0बी0 कैश सम्बन्धी समस्त कार्य एवं परियोजना निदेशक द्वारा बताये गये कार्यो का सम्पादन करना आदि कार्य।

सहायक लेखाकार –

बजट सम्बन्धित कार्य। कैश के साथ साथ लेखा सम्बन्धी कार्य जैसे बजट,आंडिट रिपोर्ट,आय व्यय विवरण आदि एवं लेखा सम्बन्धी कार्य की देखरेख तथा परियोजना निदेशक द्वारा बताये गये कार्यो का सम्पादन तथा लेखन सामग्री ।

वरिष्ठ सहायक–

कार्यालय के स्थापना पटल का सम्पूर्ण कार्य यथा सेवापुस्तिकाओं ,जी0पी0एफ0 पासबुकों का रखरखाव ,वेतन बिल / वेतन सम्बन्धि सूचना, यात्रा भत्ता बिल, कन्टीजेन्ट बिल, जी0पी0.एफ0 बिल एवं परियोजना निदेशक द्वारा बताये गये कार्यो का सम्पादन ।

कनिष्ठ सहायक

भण्डार से सम्बन्धित सभी अभिलेखों का रखरखाव, पत्राचार भण्डार से निर्गत दैनिक प्रयोग की सामग्री का लेखा जोखा पटल से सम्बन्धित समस्त पत्राचार । डाक प्रेषण,डाक प्राप्ति ,टंकण कार्य ,ओल्ड रिकार्ड ऍव समय समय पर परियोजना निदेशक द्वारा बताये गये कार्यो का सम्पादन एवं लेखन सामग्री।

ट्रैक्टर आपरेटर–

कृषि कृत भूमि की जुताई ,चाराढुलान ,गोबर ढुलान आदि कार्य करना ।

जीपचालक–

परियोजना निदेशक द्वारा बताये गये कार्यो का सम्पादन ।

विद्युतकार –

प्रक्षेत्र की विद्युत व्यवस्था की देखरेख ।

पशुधन सहायक–

कार्यालय समय से खोलना,बन्दकरना /दुहान कार्य / डाकलाना/लेजाना आदि । शेडों/बाडों की साफ सफाई आदि कार्य करना। शेडों/बाडों आदि की साफ सफाई का कार्य। कार्यालय परिसर मे फुलवारी की साफ सफाई,निराई गुडाई आदि करना खेतों में बुवाई कार्य,पानी लगाना,चारा काटना तथा कृषि प्रभारी द्वारा बताये गये कार्यो का सम्पादन करना । बुवाई कार्य /चारा कटाई कार्य व सिचाई आदि कार्य करना ।

मैनुअल संख्या–6

ऐसे दस्तावेजो के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियन्त्रणाधीन है प्रवर्गो का विवरणः–

क0स0	प्रवर्ग का नाम	दस्तावेजो के नाम
1–	स्थापनाः–	1–उपस्थिति पंजिका
		2–स्थापना पंजिका
		3–समस्त कर्मचारियो की वार्षिक वेतन पंजिका
		4–आकस्मिक अवकाश स्वीकृत पंजिका
		5–कार्यालय आदेश पंजिका
		6–स्थापना प्रकरणो सम्बन्धी गार्ड फाइल
		7–कार्यरत अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावलियॉ
		8–समस्त अधिकारी कर्मचारी की चरित्र प्रविष्टी सम्बन्धी पत्रावली
		9–सम्वर्गवार पदोन्नति पत्रावली
		10–शिकायत से सम्बन्धी पत्रावली
		11– समस्त अधिकारी कर्मचारी की भविष्य निधि पास बुकों का रख रखाव।
		12–सामान्य भविष्य निधि लेजर पत्रिका
2–	रोकड़ः–	1–रोकड़ वही का रख रखाव
		2–कैश चेस्ट का रख रखाव
		3–चैक/ड्राफट पत्रावली
		4– चैक पंजिका
		5– ड्राफट पंजिका
		6–चालान सम्बन्धी पत्रावली
		7–वेतन से बचत पंजिका/ पत्रावली
2–लेखा–		1–अधिष्ठान व्यय हेतु बजट आवंटन पत्रावली
		2–ब्यायाधिक्य एंव बचत पत्रावली
		3–आय व्याय विवरण सम्बन्धी पत्रावली
		4–अग्रिम आहरण एंव भुगतान पंजिका
		5–आडिट आपत्ति सम्बन्धी पत्रावली
		6–यात्रा भता बिल/जॉच सम्बन्धी पत्रावली

7– समस्त अधिकारी कर्मचारी की वेतन सम्बन्धी पत्रावली
8–आयकर सम्बन्धी पत्रावली
9–जनरल स्टाक बुक
10–लेखन सामग्री – स्टाक बुक
11–निष्प्रोज्य भण्डार के निस्तरण पत्रावली
12–जीप/ट्रक से सम्बन्धी पत्रावली
13–कार्यालय के प्रेषण पत्रों की पत्रावली
14– कार्यालय मे प्राप्त होने वाली डाक से सम्बन्धी पत्रावली।
15–एस0पी0एस0 पंजिका।
16–पटल सहायको को प्राप्त कराये जाने वाली पत्रावली।
17–लम्बित पत्रों की पत्रावली

डेरी अनुभाग

1– उपस्थिति पत्रावली
2– इन्वेन्ट्री
3– पशु हिस्ट्री शीट
4– वत्स उत्पन्न पंजिका
5– मृत्यु पंजिका
6– दुग्ध पंजिका
7– दुग्ध निस्तारण पंजिका
8–दवा सम्बन्धी पत्रावली
9–दैनिक इलाज सम्बन्धी पत्रावली

मैनुअल संख्या–7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध मे जनता के सदस्यो से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र पर जनता के सदस्यो से सीधा कोई परामर्श नही होता है अतः शून्य मान लिया जाए ।

मैनुअल संख्या–8

ऐसे बोर्डो और अन्य निकायो के विवरण जिनमे दो या अधिक व्यक्ति हैं जिसका उसके भागरूप या इस बारे मे सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया हे कि क्या उन बोर्डों परिषदो समितियो और अन्य निकायो की बैठके के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नलिखित बोर्डो का गठन किया गया है :–

1 उत्तराखण्ड लाईव स्टाक डेवलपमैन्ट बोर्ड
2. उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमैन्ट बोर्ड
3–उत्तराखण्ड राज्य पशुकल्याण परिषद
4.–उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग

मैनुअल संख्या–9

अधिकारियो व कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र0सं0	नाम	नियुक्ति की तिथि	स्थाई पता	फोन नं0
1	डा0 लोकेश कुमार	30/06/1989	मेरठ उ0प्र0	8937003184
2	डा0 अजयपाल सिंह असवाल	08/07/2005	पौडी गढवाल	9411125491
3	डा0 अमित देवराडी	04/06/2011	चमोली	9068276985
4	डा0 मृदुला तिवारी	22/12/2012	चमोली	9410905434
5	श्री सुरेन्द्र सिंह	15-03-1982	मेरठ	8126880504
6	श्री राजकुमार सिंह	21/09/1998	देहरादून	9719668169
7	श्री राकेश बहुगुणा	31/01/2008	उत्तरकाशी	8449827791
8	श्रीमती कंचन बहुगुणा	13/05/2013	उत्तरकाशी	9458388021
9	श्री गौरव गुसाई	01/07/2009	पौडी गढवाल	9760633345
10	श्री रमेश सिंह बिष्ट	12/01-/2011	ऋषिकेश	8449012753
11	श्री अभिषेक नवानी	20/06/2011	ऋषिकेश	8171243888
12	श्री विजय सिंह चन्देल	15/12/1987	देहरादून	9412938263
13	श्री राकेश कुमार कटियार	17/09/1986	देहरादून	9410787580
14	श्री प्रीतम सिंह सजवाण	25/08/1961	पौडी गढवाल	9538744865
15	श्री राजकुमार	21/05/1997	देहरादून	7551781988
16	श्री भोला	27/12/1980	बाराबंकी	9997717473
17	श्री भगवान ओझा	01/01/1988	बिहार	8126052270
18	श्री राम अभिलाख	16/11/1996	फैजाबाद	8126310314
19	श्री फोनी	30/12/1980	सहारनपुर	8979680878
20	श्री त्रिलोक सिंह	09/07/1988	पौडी गढवाल	9012466956
21	श्री राम मिलन	22/11/9696	रायबरेली	9410559468
22	श्री धर्म सिंह	09/07/1988	देहरादून	9997657771
23	श्री जय कुमार	18/11/1996	सहारनपुर	9627440622
24	श्री फूल सिंह	28/07/1988	देहरादून	8126833711
25	श्री राम बहादुर	23/03/1998	देहरादून	9897453707
26	श्री रणवीर सिंह	16/11/1996	कन्नौज	8126052590
27	श्री विनोद कुमार	26/08/1998	सहारनपुर	9558946929
28	श्री महावीर सिंह	25/08/1998	देहरादून	9411713266
29	श्री चन्द्रपाल	26/08/1998	बुलन्दशहर	7351836163

30	श्री राकेश प्रसाद भट्ट	26/08/1998	रुद्रप्रयाग	8857260195
31	श्री तेज नारायण	29/07/1988	रायबरेली	8650926511
32	श्री जमना प्रसाद	04/05/2001	रायबरेली	9557644390
33	श्रीमती रजनी देवी	23/04/2002	देहरादून	7500908673
34	श्री सुनील कुमार	19/08/2002	देहरादून	9627028245
35	श्री विनोद कुमार	30/05/2003	देहरादून	9756482629
36	श्रीमति सब्बो देवी	17/05/2006	देहरादून	.9411312656
37	श्री राम किशोर	19/11/1996	बाराबंकी	9557936049

मैनुअल संख्या–10

प्रत्येक अधिकारी ओर कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिससे उसके विनियमो मे यथा उपबन्धित प्रतिकार की प्रणाली सम्मिलित है:–

क0सं0	पद नाम	नाम	नियुक्ति की तिथि	वेतनमान	कुल वेतन
1	परियोजना निदेशक	डा0 लोकेश कुमार	30/06/1989	123100–215900	170768.00
2	प0चि0अ0 ग्रेड–1	डा0 अजयपाल सिंह असवाल	08/07/2005	7800–209200	115676.00
3	प0चि0अ0 ग्रेड–2	डा0 अमित देवराडी	04/06/2011	56100–177500	87564.00
4	प0चि0अ0 ग्रेड–2	डा0 मृदुला तिवारी	22/12/2012	56100–177500	82524.00
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकरी	श्री सुरेन्द्र सिंह		47600–151100	66112.00
6	प्रशासनिक अधिकरी	श्री राजकुमार सिंह	21/09/1998	44900–142400	58940.00
7	प0प्र0अ0	श्री राकेश बहुगुणा	31/01/2008	35400–112400	51908.00
8	प0प्र0अ0	श्रीमती कंचन बहुगुणा	13/05/2013	35400–112400	45108.00
9	वरिष्ठ सहायक	श्री गौरव गुसाई	01/07/2009	29200–92300	33992.00
10	कनिष्ठ सहायक	श्री रमेश सिंह बिष्ट	12/01/2011	29200–92300	33992.00
11	कनिष्ठ सहायक	श्री अभिषेक नवानी	20/06/2011	21700–69100	29320.00
12	विधुतकार	श्री विजय सिंह चन्देल	15/12/1987	35400–112400	51620.00
13	टैक्टर आपरेटर	श्री राकेश कुमार कटियार	17/09/1986	44900–142400	64278.00
14	टैक्टर आपरेटर	श्री प्रीतम सिंह सजवाण	02/09/1981	44900–142400	62654.00
15	जीप चालक	श्री राजकुमार	21/05/1997	44900–142400	57462.00
16	पशुधन सहायक	श्री भोला	27/12/1980	29200–92300	43042.00
17	पशुधन सहायक	श्री भगवान ओझा	01/01/1988	29200–92300	41810.00
18	पशुधन सहायक	श्री राम अभिलाख	16/11/1996	25500–81100	37626.00
19	पशुधन सहायक	श्री फोनी	30/12/1980	29200–92300	43042.00
20	पशुधन सहायक	श्री त्रिलोक सिंह	09/07/1988	29200–92300	41810.00
21	पशुधन सहायक	श्री राम मिलन	22/11/1996	25500–81100	37626.00
22	पशुधन सहायक	श्री धर्म सिंह	09/07/1988	29200–92300	41810.00
23	पशुधन सहायक	श्री जय कुमार	18/11/1996	25500–81100	37626.00
24	पशुधन सहायक	श्री फूल सिंह	28/07/1988	29200–92300	41810.00
25	पशुधन सहायक	श्री राम बहादुर	23/03/1998	25500–81100	37626.00
26	पशुधन सहायक	श्री रणवीर सिंह	16/11/1996	25500–81100	37626.00
27	पशुधन सहायक	श्री विनोद कुमार	26/08/1998	25500–81100	36506.00
28	पशुधन सहायक	श्री महावीर सिंह	25/08/1998	25500–81100	36506.00
29	पशुधन सहायक	श्री चन्द्रपाल	26/08/1998	25500–81100	36506.00
30	पशुधन सहायक	श्री राकेश प्रसाद भट्ट	26/08/1998	25500–81100	36506.00
31	पशुधन सहायक	श्री तेज नारायण	29/07/1988	29200–92300	41810.00
32	पशुधन सहायक	श्री जमना प्रसाद	04/05/2001	19900–63200	33096.00
33	पशुधन सहायक	श्रीमती रजनी देवी	23/04/2002	19900–63200	33096.00
34	पशुधन सहायक	श्री सुनील कुमार	19/08/2002	19900–63200	33096.00
35	पशुधन सहायक	श्री विनोद कुमार	30/05/2003	19900–63200	33096.00
36	पशुधन सहायक	श्रीमती सब्बो देवी	17/05/2006	18000–56900	33096.00
37	पशुधन सहायक	श्री रामकिशोर	19/11/1996	25500–81100	37626.00

मैनुअल–11

किसी इलैक्ट्रोनिक रूप मे सूचना के सम्बन्ध मे ब्यौरा जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो

बैबसाइट– www.uldb.org

उक्त वैबसाईट पर निम्न सूचना उपलब्ध हैः–

बोर्ड के बारे में

टेन्डर के बारे में

एम0पी0आर0 के बारे में

उपलब्ध सांडों का विवरण

प्रशिक्षण से सम्बन्धित

फॉडर बैंक के बारे में

उक्त के अतिरिक्त प्रक्षेत्र की एम0पी0आर0, पशुधन आदि समस्त सूचना कार्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर में उपलब्ध है।

मैनुअल –12

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिको को उपलबध सुविधाओं की विशिष्टिया जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घन्टे सम्मिलित

प्रक्षेत्र पर पुस्तकालय उपलब्ध नही है अतः मैनुअल शून्य मान लिया जाये

मैनुअल –13

लोक सूचना अधिकारियो के नाम पदनाम व अन्य विशिष्टियां

लोक सूचना अधिकारी

डा0 अजयपाल सिंह असवाल/ पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1
फोन न0– 9411125491

फोन नं0 कार्यालय– 01360275073

अपीलीय अधिकारी

डा0 लोकेश कुमार , परियोजना निदेशक

फोन नं0– 8937003184

आफिस– 01360275073